अध्याय-1
प्रस्तावना

अध्याय-1

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 बजट की रूपरेखा

राज्य में 43 विभाग एवं 74 स्वायत्त निकाय हैं। वर्ष 2010-15 के दौरान राज्य सरकार के वृहत शीर्षों के अंतर्गत बजट अनुमान तथा उसके विरूद्ध वास्तविक व्यय **तालिका-1.1.1** में दर्शाया गया है:

तालिका-1.1.1: 2010-15 के दौरान राज्य सरकार के बजट एवं व्यय

(` करोड़ में)

विवरण	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएँ	5877.15	6990.80	7866.66	7845.56	8556.05	8696.49	9870.51	9959.36	11617.87	10623.45
सामाजिक सेवाएँ	6730.03	6707.30	9524.39	7287.03	11611.28	8308.59	12405.63	8215.34	17383.07	11915.34
आर्थिक सेवाएँ	3943.26	4246.47	6646.17	5858.99	7632.67	6394.79	8158.69	5297.19	10486.84	9256.11
सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.45	0.17	0.55	0.00	0.55	0.00	0.25	0.00	0.15	0.00
कुल (1)	**16550.89**	**17944.74**	**24037.77**	**20991.58**	**27800.55**	**23399.87**	**30435.08**	**23471.89**	**39487.93**	**31794.90**
पूँजीगत व्यय										
पूँजीगत परिव्यय	3826.02	2664.30	6352.73	3159.37	6856.83	4218.43	6466.40	4722.50	8224.03	5542.94
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	415.01	307.56	1328.02	217.10	829.37	600.81	838.40	221.91	699.43	823.78
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1505.67	1299.43	1403.18	1639.01	1627.05	2183.06	1809.02	1996.92	1976.30	1879.88
अंतरराज्यिक भुगतान				75.40		100.00	0.00	50.00		0.00
आकस्मिक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा संवितरण*	9065.67	7399.85	11762.85	9727.77	18519.83	13416.31	13929.71	14094.33	16461.09	19276.68
अंतिम रोकड़ शेष		(-) 0.41		116.85		704.75	0.00	1285.48		444.21
कुल (2)	**14812.37**	**11670.73**	**20846.78**	**14935.50**	**27833.08**	**21223.36**	**23043.53**	**22371.14**	**27360.85**	**27967.49**
सकल योग (1+2)	**31363.26**	**29615.47**	**44884.55**	**35927.08**	**55633.63**	**44623.23**	**53478.61**	**45843.03**	**66848.78**	**59762.39**

(स्रोत: राज्य बजट के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं व्याख्यात्मक ज्ञापन)

** रोकड़ शेष निवेश एवं विभागीय शेष को छोड़कर*

1.1.2 राज्य सरकार के संसाधनों के अनुप्रयोग

कुल बजट के ` 57,303 करोड़[1] के विरूद्ध 2014-15 में राज्य के समेकित निधि से ` 40,042 करोड़ का कुल व्यय[2] हुआ। राज्य का कुल व्यय 2010-11 से 2014-15 के दौरान 80 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ` 22,216 करोड़ से ` 40,042 करोड़ तक बढ़ गया और राज्य सरकार का राजस्व व्यय 77 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2010-11 में ` 17,945 करोड़ से 2014-15 में ` 31,795 करोड़ हो गया। 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय 62 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ` 11,941 करोड़ से ` 19,359 करोड़ तक बढ़ा एवं पूँजीगत व्यय 108 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ ` 2,664 करोड़ से ` 5,543 करोड़ तक पहुँच गया।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कुल व्यय में से राजस्व व्यय 77 से 81 प्रतिशत था एवं पूँजीगत व्यय 12 से 16 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान कुल व्यय का चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) 15.87 प्रतिशत था, जबकि 2010-11 से 2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) 13.86 प्रतिशत से बढ़ी।

1.1.3 सतत बचतें

15 अनुदानों (14 विभागों) में, पिछले 5 वर्षों में कुल अनुदानों में से प्रत्येक अनुदान में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की सतत बचतें हुईं, जैसा कि **तालिका-1.1.2** में वर्णित है:

तालिका-1.1.2: 2010-15 के दौरान सतत बचतों वाले अनुदानों की सूची

(` करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान के नाम एवं संख्या	बचत की राशि				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व दत्तमत						
1	1- कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	181.21(39)	228.82(35)	264.25(37)	566.53(58)	552.00(58)
2	2-पशुपालन विभाग	46.11(22)	31.52(23)	35.50(22)	35.53(22)	41.73(25)
3	17- वित्त (वाणिज्यिक कर) विभाग	8.27 (17)	11.24 (18)	27.17 (38)	8.18(13)	23.36(32)
4	18-खाद्य, जन वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	84.27 (13)	168.00 (15)	307.90 (28)	570.55(50)	439.49(34)
5	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	68.35 (23)	52.20 (19)	48.17 (15)	60.50(18)	116.88(24)
6	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	178.41(21)	277.93(25)	326.13(53)	171.13(15)	967.84(42)
7	23- उद्योग विभाग	31.89(18)	157.41(45)	82.94(29)	120.80 (41)	148.57(40)
8	26- श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	148.44 (19)	193.07 (23)	232.43 (25)	308.12(30)	349.95(28)
9	35- योजना एवं विकास विभाग	14.00 (46)	291.78 (58)	594.38 (88)	533.61(32)	99.14(27)
10	40-राजस्व एवं भू-सुधार विभाग	27. 94 (11)	79.15 (24)	77.17 (23)	125.67(32)	99.80(26)
11	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	51.83(41)	40.29(42)	37.03(40)	18.45(25)	21.31(15)
12	49- जल संसाधन विभाग	30.98(13)	83.77(27)	92.55(29)	85.14(26)	87.83(25)

[1] मूल अनुदान ` 50,388 करोड़ एवं अनुपूरक अनुदान ` 6,915 करोड़ सम्मिलित है।

[2] कुल व्यय में, लोक लेखा संवितरण एवं अंतर्राज्यिक भुगतान सम्मिलित नहीं है।

(` करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान के नाम एवं संख्या	बचत की राशि				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
13	51- कल्याण विभाग	208.83(16)	309.14(33)	250.26(31)	247.96(28)	169.02(16)
पूँजीगत दत्तमत						
14	10- उर्जा विभाग	132.56 (32)	1130.05 (87)	252.30 (32)	591.54(77)	363.07(32)
15	49- जल संसाधन विभाग	153.71(40)	714.70(78)	1232.85(74)	1130.96(68)	1196.28(68)

(स्रोत: विनियोग लेखे)

कोष्टक में दिए गए आंकड़े पूर्ण अनुदान के विरूद्ध बचत का प्रतिशत बतलाता है

1.1.4 भारत सरकार द्वारा निर्गत सहायता अनुदान

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान **तालिका-1.1.3** में दर्शाए गए हैं:

तालिका-1.1.3: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(` करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
गैर योजना अनुदान	1281.40	1550.77	1483.41	1319.91	1780.26
राज्य योजना स्कीम के लिए अनुदान	1826.99	2404.61	2393.94	1565.83	4914.69
केन्द्रीय योजना स्कीम के लिए अनुदान	8.62	66.87	30.81	28.28	83.55
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम के लिए अनुदान	990.24	1235.16	914.05	1150.96	614.16
कुल	**4107.25**	**5257.41**	**4822.21**	**4064.98**	**7392.66**
पूर्व वर्ष से प्रतिशतता में वृद्धि	46	28	(-)8	(-)16	82
राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता	21.87	23.45	19.47	15.55	23.42

1.1.5 लेखापरीक्षा का योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं आदि का उनके क्रियात्मक जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा हिस्सेदारों के प्रति रवैये के आधार पर जोखिम आकलन एवं पिछले लेखापरीक्षा परिणामों के साथ शुरू होती हैं। इस जोखिम आकलन के आधार पर, लेखापरीक्षा की बारम्बारता तथा सीमा तय की जाती है तथा एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा, लेन-देनों के नमूना-जाँच द्वारा सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हैं एवं महत्वपूर्ण लेखा-संबंधी एवं अन्य दस्तावेज/अभिलेख के निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार, रखरखाव का सत्यापन करते हैं। लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताओं का पता लगने पर यदि कार्य स्थल पर इसे सुलझाया नहीं जाता है तो, ये निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) लेखापरीक्षित कार्यालय के प्रमुख को जारी किया जाता है एवं एक प्रतिलिपि उच्चाधिकारियों को इस आग्रह के साथ भेजी जाती है कि इसके जवाब एक महीने के अन्दर सौंपे जाये। जवाब प्राप्ति उपरांत, लेखापरीक्षा परिणामों को या तो निपटा दिया जाता है या अनुपालन हेतु आगे की कार्यवाही के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाये गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समावेश के लिए प्रसंस्कृत की जाती है जिसे भारतीय संविधान की धारा 151 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के गवर्नर को प्रस्तुत की जाती है।

वर्ष 2014-15 में, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड के कार्यालय द्वारा राज्य के 400 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीयों और चार स्वायत्त निकाय का अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया। साथ ही, तीन निष्पादन लेखापरीक्षा, एक लम्बे प्रारूप कंड़िका एवं एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा भी किया गया।

1.1.6 निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) के प्रति सरकार की उदासीनता

कार्यालयाध्यक्षों एवं उच्चाधिकारियों को अपने अनुपालन प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को इन नि.प्र. कि प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर देना होता है। गम्भीर अनियमितताएँ प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड के कार्यालय द्वारा प्रधान सचिव (वित्त) को भेजे जाने वाले लंबित नि.प्र. की एक अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से संबंधित विभागाध्यक्षों के जानकारी में भी लायी जाती है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 25 बैठकें हुई जिसमें 58 नि.प्र. और 688 कंडिकाओं का निपटारा किया गया।

उपरोक्त कार्यपद्धति के बावजूद, 31 मार्च 2015[3] तक 3,989 निरीक्षण प्रतिवेदनों में संकलित कुल 24,263 लेखापरीक्षा अवलोकनो के जवाब लम्बित थे जैसा की **तालिका-1.1.4** में दिये गए हैं:

तालिका-1.1.4: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाये

(` करोड़ में)

क्र.स.	क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएँ	संबद्ध राशि
1.	सामाजिक क्षेत्र	2148	14267	11853.20
2.	सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर सा.क्षे.उ.)	1841	9996	24570.79
कुल		**3989**	**24263**	**36423.99**

सितम्बर 2014 तक 34 विभागों से संबंधित 1,387 आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों (डी.डी.ओ.) को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से पता चलता है कि 31 मार्च 2015 को 3,989 नि.प्र. से संबंधित ` 36,423.99 करोड़ के वित्तीय मूल्यांकन के 24,263 कंडिकाएँ लंबित थे। इनकी वर्ष-वार स्थिति का विवरण **परिशिष्ट-1.1.1** एवं अनियमितताओं के प्रकार **परिशिष्ट-1.1.2** में वर्णित है।

विभागीय अधिकारियों नि.प्र. के संकलित अवलोकनों पर तय समय में कार्रवाई करने में असफल रहे फलस्वरूप उत्तरदायित्व का ह्रास हुआ।

[3] 30 सितम्बर 2014 तक निर्गत एवं 31 मार्च 2015 तक लंबित रहे नि.प्र. एवं कंडिकाएँ सम्मिलित है।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार इन मामलों में रूचि ले ताकि लेखापरीक्षा अवलोकनों पर आवश्यक एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित किया जा सके।

1.1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यों के लिए प्रक्रिया के नियमों के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल सभी कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर स्वविवेक से कार्रवाई (व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ) प्रारंभ किया जाना था चाहे इसे लोक लेखा समिति द्वारा संपरीक्षा के लिए लिया गया हो अथवा नहीं। राज्य विधान सभा के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के तीन माह के भीतर लेखापरीक्षा जाँचित विस्तृत टिप्पणियों को सुधारात्मक या प्रस्तावित कार्रवाई को इंगित करते हुए प्रस्तुत की जानी थी।

वित्तीय वर्ष 2013-14 तक की अवधि में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं के संबंध में 31 मार्च 2015 तक प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति **तालिका-1.1.5** में दर्शायी गयी है:

तालिका-1.1.5: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के प्राप्ति की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के वर्ष	राज्य विधान मंडल में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	कंडिकाओं की कुल संख्या	विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की संख्या	विभागों से अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की संख्या
सिविल/ सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक (गैर पी.एस.यू. क्षेत्र)	2008-2009	13.08.2010	26	-	26
	2009-2010	29.08.2011	23	9	14
	2010-2011	06.09.2012	21	9	12
	2011-2012	27.07.2013	39	6	33
	2012-2013	05.08.2014	19	-	19
	2013-2014	**27.08.2015**	**21**		**21**
कुल			**149**	**24**	**125**
राज्य वित्त	2008-2009	13.08.2010	12	-	12
	2009-2010	29.08.2011	12	-	12
	2010-2011	06.09.2012	16	-	16
	2011-2012	27.07.2013	13	-	13
	2012-2013	05.08.2014	10	-	10
	2013-2014	**26.03.2015**	**09**	**-**	**09**
कुल			**72**	**-**	**72**

1.1.7.1 लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर कार्रवाई नहीं किया जाना

झारखण्ड विधान सभा, कार्य एवं प्रक्रिया के नियम 315(2) के अन्तर्गत स्थाई आदेश संख्या 41(1) के अनुसार लोक लेखा समिति द्वारा किए गए अनुशंसाओं को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के छः माह के भीतर विभागों द्वारा लोक लेखा समिति के समक्ष की गई कार्रवाई नोट (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करना था।

यह देखा गया कि लोक लेखा समिति, झारखण्ड ने वर्ष 1999-2000 से 2008-2009 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए सात कंडिकाएँ एवं आठ उप कंडिकाओं पर अनुशंसाएँ की थी लेकिन उपरोक्त कंडिकाओं एवं उप कंडिकाओं पर विभागों से कोई ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुआ।

1.1.8 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों (प्रारूप कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षा/ लम्बे प्रारूप कंडिका) पर सरकार की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने, चयनित विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन सहित आंतरिक नियंत्रण के गुणवत्ता में कई अहम कमियों, जो कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, को उजागर किया है। विशेष कार्यक्रमों/योजनाओं का लेखापरीक्षा करना तथा नागरिकों को सेवा प्रदेयता को सुधारने तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कार्यपालिका को उपयुक्त अनुशंसाएँ प्रदान करना प्रमुखता थी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/प्रारूप कंडिकाओं पर विभागों को अपना प्रत्युत्तर छः सप्ताह के भीतर भेजना है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया कि झारखण्ड विधान मंडल में प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में इस प्रकार के कंडिकाओं को शामिल करने की संभावना के दृष्टिकोण से इन मामलों में उनकी टिप्पणी शामिल करना वांछनीय होगा। उन्हें महालेखाकार के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रारूप प्रतिवेदन/लम्बे प्रारूप कंडिका/अनुवर्ती लेखापरीक्षा/प्रारूप कंडिकाओं पर विचार विमर्श के लिए बैठक करने की सलाह भी दी गई।

प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को संबद्ध प्रधान सचिवों/सचिवों को उनके जवाब के लिए अग्रसारित भी किया गया। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए संबद्ध प्रशासनिक सचिवों को पाँच निष्पादन लेखापरीक्षा/लम्बे प्रारूप कंडिका/अनुवर्ती लेखपरीक्षा पर प्रारूप प्रतिवेदन एवं 13 प्रारूप कंडिकाएँ अग्रसारित की गयी। निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित सभी मामले एवं प्रारूप कंडिकाओं के 13 मामलों में से सिर्फ तीन मामलों पर सरकार के जवाब प्राप्त हुए हैं।

1.1.9 राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। इन निकायों में से अधिकतर निकायों के लेन-देनों, परिचालन संबंधी गतिविधियों एवं लेखों, नियामक अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण एवं पद्धति तथा

प्रक्रियाओं की समीक्षा इत्यादि के सत्यापन के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा किया जाता है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों (डी.पी.सी.) की धारा 19(3) के अनुसार राज्य में तीन स्वायत्त निकायों[4] के लेखाओं की लेखापरीक्षा का काम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। लेखापरीक्षा सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा हेतु लेखाओं का प्रस्तुती, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत करने एवं इनका विधान मंडल में प्रस्तुतीकरण को नीचे दर्शाया गया है:

(i) राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) अधिनियम वर्ष 2002 में अधिनियमित किया गया। सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(3) के अंतर्गत रिम्स के लेखाओं की लेखापरीक्षा कार्य प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सौंपा गया जिसे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा अक्टूबर 2009 में स्वीकार किया गया। यद्यपि, सितम्बर 2015 तक लेखापरीक्षा हेतु किसी भी वर्ष के लिए वार्षिक लेखे नहीं जमा किए गए।

(ii) झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) के लिए वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की अवधि के लिए नवम्बर 2013 में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.ए.आर.) निर्गत किया गया था। राज्य विधान मंडल में उनके प्रस्तुतीकरण को सूचित नहीं किया गया। वर्ष 2011-12 से 2012-13 के लिए सुपूर्दगी प्राप्त नहीं की गई (अगस्त 2015) है।

(iii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.) के लेखाओं की लेखापरीक्षा पूर्ण किया गया है एवं वर्ष 2011-12 तक के एस.ए.आर. निर्गत किया गया है। यद्यपि, 2003-04 से 2011-12 के वर्षों के लिए राज्य विधान मंडल के समक्ष उनके प्रस्तुतीकरण की स्थिति के विषय में नवम्बर 2015 तक सूचित नहीं किया गया है। वर्ष 2012-13 से 2014-15 के वार्षिक लेखे सितम्बर 2015 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

---

[4] (i) रिम्स, (ii) झालसा एवं (iii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.)।